67

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : पीजी / 2018 / 308 दिनांक 12/3/18

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज।
निदेशक (ईएसआई), राजस्थान जयपुर।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक जेल, राजस्थान।
अन्य नियंत्रण अधिकारी।

विषयः– प्री–पीजी 2018 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सकों के आवेदन पत्रों की अनुशंषा कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्री–पीजी 2018 हेतु आपके अधीन कार्यरत सेवारत चिकित्सकों जिन्होंने 1 वर्ष व उससे अधिक की अनिवार्य राजकीय सेवा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में/मरू या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण कर ली है, उनको सेवारत कोटे से प्री–पीजी में आवेदन करने के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात संबंधित चिकित्सक इन्हें व्यक्तिगत रूप/पत्रवाहक के साथ दिनांक **19.03.2018 सायं 5.00 बजे** तक अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नं. 16, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करवाकर पावती प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें एवं आवेदन प्रपत्रों पर स्पष्ट अनुशंषा कर भिजवायें साथ ही संलग्न निर्देश (क्रम संख्या 1 से 10) की पालना अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें। साथ ही अग्रेषित फार्म की अग्रिम स्पष्ट पठनीय छायाप्रति अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के **E-mail ID - addldirgaz@gmail.com** भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : पीजी / 2018 / 308 दिनांक 12/3/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज समस्त को उक्त सूचना प्रेषित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश प्रदान करावें।
3. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
5. समस्त पात्र सेवारत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में पूर्णतया सत्य तथ्यों को अंकित करते हुए नियंत्रण अधिकारी से अनुशंषा करवाकर वर्णित दिनांक तक भिजवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि पश्चात प्रेषित आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। गलत सूचना देने अथवा सूचना छुपाने पर पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई–मेल करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 19.03.2018 सायं 5.00 बजे तक दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करें

-: प्री-पीजी सेवारत कोटे में पात्रता हेतु आवेदन प्रपत्र :-

नाम चिकित्सक (अंग्रेजी व हिन्दी दोनों में) –

जन्मतिथि –

ऑल इंडिया पीजी 2018 रोल नम्बर –

मोबाईल नम्बर –

वर्तमान पदस्थापन स्थान –

नियुक्ति का प्रकार	जिले का नाम	पदस्थापन स्थान	कब से (DD/MM/YY)	कब तक (DD/MM/YY)	शहरी क्षेत्र	सामान्य ग्रामीण क्षेत्र	मरू/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र	अवैतनिक अवकाश (EOL) कब से कब तक (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY) (इस अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावें)	शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसम्पादन अवधि कब से कब तक (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY) (इस अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावें)
संविदा									
यू.टी.बी.									
आरपीएससी/आरयूएचएस वर्ष 2011									

शहरी क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि –

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि –

मरू/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि –

(अवैतनिक अवकाश (EOL) एवं शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन अवधि को ग्रामीण सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाए)

गणना योग्य कुल सेवा अवधि (30.04.2018 तक) –

नोट :- सेवारत कोटे में पूर्व में पीजी पूर्ण करने/वर्तमान में अध्ययनरत रहने/प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र देने संबंधी विवरण ....

....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना जो मेरे द्वारा भरी गई है पूर्णतया सत्य है। इसमें कोई तथ्य गलत अंकित/छुपाया नहीं गया है। यदि इन तथ्यों में कोई असत्यता पाई जाती है तो इस संबंध में पड़ने वाले विपरीत प्रभाव/अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चिकित्सक के उक्त विवरण का मिलान सेवाभिलेख से करने के पश्चात ही सत्यापित किया गया है जो कि सही है। डॉ. .... द्वारा अनिवार्य सेवा 1 वर्ष व उससे अधिक की सामान्य ग्रामीण क्षेत्र/मरू या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण कर ली गई है। नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशों 1 से 10 की पालना कर ली गई है। चिकित्सक को सेवारत कोटे से प्रीपीजी 2018 हेतु पात्र माने जाने की अनुशंषा की जाती है।

नियंत्रण अधिकारी हस्ताक्षर (संलग्न निर्देशों में क्र.सं. 1 के अनुसार)

प्रतिहस्ताक्षर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

नियंत्रण अधिकारियों हेतु आवश्यक निर्देश –

1. सेवारत कोटे में पात्रता की गणना पूर्णतया संबधित निदेशक/प्रधानाचार्य/अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रमाण प्रपत्र के आधार पर की जाएगी।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के नवीनतम स्थिति हेतु प्रपत्र अग्रेषित करने से पूर्व स्थानीय राजस्व अधिकारी से इसकी पुष्टि आवश्यक रूप से कर ली जाए।
3. पात्रता की गणना का आधार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एसबी सिविल रिट 3711/2015 में दिनांक 07.04.2015 को पारित निर्णय रहेगा एवं वित्त विभाग के Rural Allowance का Notification दिनांक 26.12.2011 के आधार पर की जानी है।
4. पात्रता की गणना में चिकित्सक द्वारा स्वीकृत अथवा अनिर्णित अवैतनिक अवकाश (EOL) अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाए।
5. शहरी क्षेत्र में कार्य संपादन/प्रतिनियुक्ति अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाए।
6. दिनांक 30.04.2018 तक की सेवा अवधि को गणना हेतु सम्मिलित किया जाए।
7. पूर्ण आवेदन जिसे नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है की एक अग्रिम स्पष्ट पठनीय छायाप्रति अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के **E-mail ID - addldirgaz@gmail.com** पर भिजवाते हुए 2 मूल प्रतियां संबंधित चिकित्सक को लौटा दी जाए। संबंधित चिकित्सक इन्हें व्यक्तिगत रूप/पत्रवाहक के साथ दिनांक **19.03.2018 सायं 5.00 बजे** तक अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नं. 16, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करवाकर पावती प्राप्त कर लें। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए संबंधित चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. **अग्रेषित प्रपत्रों पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) के प्रति हस्ताक्षर करवाने से पूर्व प्रपत्रों को ज्यों का त्यों पारदर्शिता के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त संबंध में लिखित आपत्ति मय सिद्ध करने वाले दस्तावेजों सहित अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नं. 16, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में दिनांक 21.03.2018 तक प्राप्त की जावेगी।**
9. सेवारत कोटे में पूर्व में पी.जी. कर चुके/वर्तमान में पी.जी. कर रहे/पी.जी. में प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे चुके चिकित्सकों के पुनः सेवारत कोटे से पात्र होने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किए जायेंगे।
10. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंषा किए जाने से पूर्व उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर ली जाए। यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा न्यायिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक/नियंत्रण अधिकारी की होगी।